न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः07 / 2019 (आवंटन निरस्ती)

जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00271

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली

............................प्रार्थी

बनाम

1. रोड़ा पिता मोड़ा डांगी (मृतक) के बजाय–
   1/1. रामलाल पुत्र मोड़ा
   1/2. कन्हैयालाल पुत्र रोड़ निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
   1/3. राधीबाई पत्नी रोड़ा निवासीः भीमल चारणान, तहसील–मावली, उदयपुर
   1/4. कंचन पुत्री मांगीबाई निवासीः गुडली, तहसील–मावली, उदयपुर
   1/5 गुड्डी पुत्री मांगीबाई निवासीः भैंसडाकला, तहसील–कुराबड़, उदयपुर
   1/6. उषा पुत्री मांगीबाई निवासीः धोलीमगरी, तहसील–मावली, उदयपुर
   1/7 नर्बदा पुत्री मांगीबाई निवासीः रख्यावल, तहसील–मावली, उदयपुर
   1/8 संगीता पुत्री मांगीबाई निवासीः रख्यावल, तहसील–मावली, उदयपुर
2. भंवरलाल पुत्र भोलीराम निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
3. रूपां पिता भोलीराम, निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
4. मीरा पिता भोलीराम निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
5. नारायणी पिता भोलीराम निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
6. वगतु पत्नी भोलीराम (मृतक) के बजाय–
   6/1. खेमराम पुत्र भंवरलाल निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/2. रेखा पुत्री भंवरलाल निवासीः जूनावास, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/3. हेमन्ती पुत्री भंवरलाल निवासीः घासा, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/4. केसर पुत्री भंवरलाल निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/5. लक्ष्मी पुत्री भंवर निवासीः घासा, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/6. वालीबाई पत्नी भंवरलाल निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/7. मीराबाई पत्नी भोलीराम निवासीः डबोक, तहसील–मावली, उदयपुर
   6/8. नारायणी पुत्र भोलीराम निवासीः खरबड़िया, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
   6/9. रूपीबाई पुत्री भोलीराम निवासीः सिन्धु तहसील–मावली, उदयपुर
   6/10. कंकूबाई पत्नी भोलीराम निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
7. कंकूबाई पत्नी भोलीराम निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
8. लोगर पिता तुलसा डांगी निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
9. सवाबाई पत्नी तुलसा डांगी(मृतक) के बजाय–
   9/1. लोगरलाल पुत्र तुलसा डांगी निवासीः सांगवा, तहसील–मावली, उदयपुर
   9/2. सकूबाई पुत्री तुलसा डांगी निवासीः मण्डी की मगरी, घासा, तहसील–मावली, उदयपुर
   9/3 कमलाबाई पुत्री तुलसा डांगी निवासीः चोरकिया, विठोली, तहसील–मावली, उदयपुर

..................विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भुमि आवंटन नियम 1970

जिला कलक्टर
उदयपुर

उपस्थितिः–	श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 21-10-2024

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सांगवा के चालू जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के खसरा संख्या 210 रकबा 1.13 बीघा किस्म रास्ता आ. न. 2572/166 रकबा 14 बीघा किस्म बारानी तृतीय 2573/210 रकबा 6 बिस्वा किस्म रास्ता कुल किता 3 रकबा 15.19 बीघा का प्रार्थी लैण्ड हॉल्डर भूमिधारी है। उप्युक्त वर्णित मूल आराजी नंबर 210 रकबा 1.13 बीघा किस्म रास्ता सम्पूर्ण 2513/210 रकबा 0.06 बिस्वा किस्म रास्ता बिलानाम चारागाह में आराजी नंबर 2570/166 रकबा 0.02 बिस्वा बाड़ा 2571/166 रकबा 0.06 किस्म बाड़ा, 2572/166 रकबा 14 बीघा बारानी तृतीय कुल किता 5 रकबा 16.07 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश दिनांक 30.07.1977 कार्यालय तहसीलदार मावली के मिश्ल नं. 38/77 आदेश दिनांक 01.12.1978 से विपक्षीगण श्री भोलीराम, रोड़ा, तुलसा पिता मोड़ा डांगी निवासीः सांगवा के कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आराजी नंबर 210 रकबा 1.13, 2573/210 रकबा 0.06, 2570/166 रकबा 0.02, 2571/166 रकबा 0.06, 2572/166 रकबा 14 बीघा कुल किता 5 रकबा 16.07 बीघा का आवंटन हुआ जिसका नामांतकरण संख्या 225 दिनांक 31.12.1978 से विपक्षीगणों के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज स्वीकृत हुआ है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। मौके पर आराजी नंबर 2572/166 रकबा 14 बीघा में से 3.14 बीघा भूमि पर आम रास्ता बना हुआ है। मौके पर सार्वजनिक रास्ता प्रयुक्त होकर रकबा 3.14 विपक्षीगणों के कब्जे काश्त नहीं होकर भूमि सार्वजनिक रास्ता गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम आ रही है। आराजी नंबर 210 रकबा 1.13 किस्म रास्ता एवं 2573/210 रकबा 0.06 किस्म रास्ता होकर आवंटन गैर खातेदारी निरस्त योग्य है। विपक्षीगणों द्वारा उतरवर्ती गैरखातेदारों को रास्ता का आवंटन अवैध होकर आवंटन नियामें का उल्लंघन किया है। आवंटियों द्वारा शर्तो की पालना नही की है जो नियम 14(4)

जिला कलक्टर
उदयपुर

के तहत आवंटन गैर काबिल काश्त निरस्त है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम सांगवा पटवार मण्डल सांगवा तहसील मावली चालू जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 548 आराजी नंबर 210 रकबा 1.13 किस्म रास्ता 2572/166 रकबा 14 बीघा किस्म बारानी तृतीय में से रकबा 3.14 बीघा, आराजी संख्या 2573/210 रकबा 0.06 किस्म रास्ता कुल किता 3 रकबा 5.13 बीघा गैर खातेदार रोड़ा पिता मोड़ा 1/3 भंवनलाल मु. भोलीराम रूपा मीरा नारायणी पिता भोलीराम मु. वगतु, कंकू बेवा भोलीरा 1/3 हि.ब. लोगर लाल पिता तुलसा मु. सवा बाई बेवा तुलसा 1/3 हि.ब. डांगी विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि आवंटन गैर खातेदारी निरस्त कर भूमि राजकीय बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना पत्र अनुपस्थित, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। अतः विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त करना फरमावें।

प्रकरण में उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2070–73 अनुसार राजस्व ग्राम सांगवा तहसील मावली की आराजी संख्या 210 रकबा 1–13 बीघा, आराजी संख्या 2572/166 रकबा 14 बीघा एवं 2573/210 रकबा 6 बिस्वा रोडा पिता मोडा 1/2, भंवरलाल मु. भोलीराम, रूपा, मीरा, नारायणी पिता भोलीराम, मु. वगतु, कंकू बेवा भोलीराम 1/3 हि.ब. लोगरलाल पिता तुलछा मु. सवाबाई बेवा तुलछा 1/3 हि.ब. डांगी सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विपक्षीगणों द्वारा आंवटन शर्तो की पालना नही की गई है। मौके पर आराजी नम्बर 2572/166 रकबा 14 बीघा मे से 3.14 बीघा भूमि पर आम रास्ता बना हुआ है। आराजी नम्बर 210 रकबा किस्म रास्ता एवं 2573/210 रकबा 0.06 किस्म रास्ता होकर आंवटन गैर खातेदारी निरस्त योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध गिरदावरी सम्वत 2074 अनुसार भी आराजी नम्बर 210

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

जिला कलेक्टर
उदयपुर

एवं 2573/210 पर कोई काश्त किये जाने का अंकन नही होकर रास्ता अंकित है एवं आराजी संख्या 2572/166 रकबा 14 बीघा मे से 3 बीघा भूमि पर काश्त का अंकन होकर 11 बीघा भूमि पडत बताई गई है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि:-

"राजस्व ग्राम सांगवा के आराजी नम्बर 210 रकबा 0.2671 हे. किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 2572/166 रकबा 2.2662 हे. किस्म बा. III, आराजी नम्बर 2573/210 रकबा 0.0486 हे. किस्म रास्ता कुल रकबा 2.5819 हे. उषा पुत्री मांगीबाई 1/60, कंकुबाई पत्नी भोलीराम 1/30, कंचन पुत्री मांगीबाई 1/60, कन्हैयालाल पिता रोडा 1/12, कमलीबाई पुत्री तुलछा 1/18, केसर पुत्री भंवरलाल 1/90, खेमराज पुत्र भंवरलाल 1/90, गुडी पुत्री मांगीबाई 1/60, नर्बदा पुत्री मांगीबाई, नारायणी पुत्री भोलीराम 1/15, मीरा पुत्री भोलीराम 1/15, रेखा पुत्री भंवरलाल 1/90, रूपा पुत्री भोलीराम 1/15, रूपीबाई पुत्री वगु 1/30, राधी बाई पुत्री रोडा, रामलाल पुत्र रोडा 1/12, लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल 1/90, लोगर पुत्र तुलछा 2/9, वालीबाई पत्नी भंवरलाल 1/90, सकुबाई पुत्री तुलछा 1/18, संगीता पुत्री मांगीबाई 1/60, हेमंती पुत्री भंवरलाल 1/90 जाति डांगी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होकर आराजी नम्बर 210 एवं 2573/210 पर मौके पर कच्ची सडक (कंक्रीट) बनी हुई है एवं आराजी नम्बर 2572/166 में मौका स्थिति अनुसार कुल रकबा 2.2662 हे मे से 0.5992 हे. पर कच्चा रास्ता (कंक्रीट) बना हुआ है। भूमि पर काश्त नही की जाकर रास्ते के रूप मे उपयोग आ रही है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटन किये जाने के प्रावधान है तत्पश्चात आवंटन शर्तो की पालना किया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, उपखण्ड अधिकारी मावली की रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी, गिरदावरी से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम सांगवा की आवंटित आराजी नम्बर 210 एवं 2573/210 पर काश्त नही की गई, आंवटन शर्तो की पालना नही की गई। जमाबन्दी अनुसार किस्म रास्ता होने से भी यह आंवटन योग्य नही है एवं आराजी नम्बर 2572/166 रकबा 2.2662 हे. किस्म बारानी तृतीय मे से 0.5992 हे. पर रास्ता बना हुआ है स्पष्ट है कि उक्त रकबे पर भी काश्त नही की जा रही है। जिस प्रयोजन आंवटन हुआ है उस अनुरूप कृषि कार्य नही किया जा रहा है। ना ही

जिला कलक्टर
उदयपुर

विपक्षी के कब्जे मे है। साथ ही विपक्षी का उपस्थित नही होना, ना ही अपना कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना भी अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट करता है कि वह भी इन तथ्यों से सहमत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सांगवा तहसील मावली हाल घासा के आराजी नम्बर 210 रकबा 0.2671 किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 2573/210 रकबा 0.0486 किस्म रास्ता एवं आराजी नम्बर 2572/166 रकबा 2.2662 हे मे से 0.5992 हे. (जो रास्ते के रूप में उपयोग ली जा रही है) का आंवटन निरस्त किया जाता है एवं उक्तानुसार आवंटित भुमि को पुनः बिलानाम सरकार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार घासा को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त भुमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार दर्ज कर तहवील राज ली जावें। बाद कार्यवाही पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार घासा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बार कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर